कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम(छ.ग.)

//संशोधित आदेश//

क्रमांक/3444/सां.लि/कोरोना/2020 कवर्धा,दिनांक 20/05/2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3365 दिनांक 18.05.2020 द्वारा आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर छूट प्राप्त दुकानों/संस्थानों को खोलने की समय–सीमा प्रातः 08:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक निर्धारित किया गया था। जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए नवीन समय–सीमा प्रातः 08:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। नाई की दुकान, सेलून, ब्यूटीपार्लर के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किया जाता है–

1. बुखार, सर्दी, खांसी, और गले में तकलीफ के साथ व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी।
2. बिना मास्क के ग्राहक, दुकानदार एवं कर्मचारी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
3. प्रवेश स्थान पर हेण्ड सैनेटाईजर की व्यवस्था की जावेगी।
4. दुकान के सभी कर्मचारी मास्क, हेड कवर और एप्रॉन पहनेगें।
5. प्रत्येक ग्राहक के लिए डिस्पोसेबल टॉवेल/पेपर का उपयोग किया जावेगा।
6. ग्राहकों पर उपकरणों का उपयोग के बाद उपकरण को सेनेटाईज करना होगा। साथ ही अतिरिक्त संख्या में उपकरण रखें।
7. कर्मचारी अपने हाथ को प्रत्येक ग्राहक के बाल कटिंग के बाद सेनेटाईज करेंगे।
8. कर्मचारी ग्राहकों के प्रवेश के लिए अपॉइंटमेंट या टोकन सिस्टम अपनाया जाए।
9. बैठने के लिए कम से कम 01 मीटर की दूरी बनाए रखेंगे।
10. सभी सामान्य क्षेत्र, फर्श, लिफ्ट, सीढ़ी, दरवाजे की हैण्डल इत्यादि को 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराईट घोल से दिन में कम से कम 02 बार कीटाणुरहित करें।
11. कारपेट एवं जमीनी सतह की समय–समय पर सफाई की जाये।
12. दुकान का कचरा जिसमें ब्लेड, डिस्पोजेबल सामग्री आदि को 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराईट घोल वाले रिसाव रहित सफेद कंटेनर में एकत्रित किया जाए। कंटेनर का 3/4 हिस्सा भरने पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसी को सौंपा जाए।
13. सामाजिक दूरी बनाए रखने की जानकारी दुकान के बाहर सूचना फलक पर चस्पा करें।
14. दुकान के सभी कर्मचारी एवं सहयोगियों को चेहरे पर मास्क लगाने अवगत कराए तथा खांसी का अथवा कोविड–19 के लक्षण होने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। संक्रमित व्यक्ति जब तक वह पूर्णतः ठीक न हो जाए दुकान में प्रवेश वर्जित होगा।
15. दुकान के भीतर ग्राहकों के बैठक व्यवस्था हेतु जितनी कुर्सियां हैं, उतने ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति दी जाए।
16. दुकान में आने वाले लोग/ग्राहक की जानकारी के लिए रजिस्टर संधारित करेगें।
17. ग्राहकों की सुविधा के लिए सूचनापटल बनाएं जिसमें भीड़ न बढ़ाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने तथा दुकान में आने से पूर्व निमंत्रण (Appointment) लिए जाने की सलाह प्रदर्शित की जाए।
18. ब्यूटीपार्लर में यथासंभव सी.सी.टी.वी. कैमरा लगया जावे।

उपरोक्त निर्देशों का पालन कराए जाने की समस्त जवाबदारी दुकान संचालक की होगी। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला कबीरधाम

Scanned with CamScanner

पृ.क्रमांक/3445/सां.लि/कोरोना/2020 कवर्धा, दिनांक 20/05/2020

प्रतिलिपि –

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग, जिला दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम को सूचनार्थ।
8. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल कवर्धा, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ।
9. जिला सेनानी, नगर सेना, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला परिवहन अधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला आबकारी अधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. जिला खाद्य अधिकारी, कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व अनुविभागीय दण्डधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सहायक संचालक, जनसंपर्क कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. सर्व संबंधित विभाग प्रमुख/श्री...को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला कबीरधाम

Scanned with CamScanner